भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5035

(दिनांक 24.07.2019 को उत्तर के लिए)

सूचना प्रदाता संरक्षण कानून का कार्यान्वयन

5035. **श्री के॰ शनमुगा सुंदरमः**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संसद द्वारा फरवरी 2014 में पारित सूचना प्रदाता संरक्षक कानून का कार्यान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या भारत में आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या का मंत्रालय में कोई ब्यौरा है और सरकार द्वारा सूचना प्रदाता संरक्षण कानून का विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु सरकार द्वारा कितने आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले सूचित किए गए है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

(क) और (ख) : जी नहीं। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 (2014 की संख्या 17) को 12 मई, 2014 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम को लागू किए जाने के पूर्व इसमें भारत की संप्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा इत्यादि को प्रभावित करने वाले प्रकटनों के विरूद्ध सुरक्षोपाय के उद्देश्य से संशोधन आवश्यक है। अधिनियम में इन संशोधनों को करने के लिए सरकार ने लोक सभा में 11 मई, 2015 को सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 पुर:स्थापित किया था जिसे लोक सभा द्वारा 13 मई, 2015 को पारित किया गया था परन्तु राज्य सभा में विधेयक पर विचार-विमर्श अनिर्णित रहा था। यह विधेयक 16वीं लोक सभा के भंग होने पर व्यपगत हो गया है।

(ग) और (घ) : ऐसे किसी आंकड़े का केंद्रीय रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है। भारत सरकार ने राज्य सरकार का ध्यान प्रशासन में भ्रष्टाचार और अनियमिताओं को उजागर करने के लिए आरटीआई का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न से संबंधित मीडिया में आने वाली रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया था। आरटीआई कार्यकर्ताओं सहित सभी नागरिकों को संरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता इत्यादि जैसे मौजूदा कानूनों की व्यवस्था पर्याप्त मानी जाती है।

*****